संख्या— 1212 / 38—7—2010—347एनआरईजीए / 08टी0सी0—1

प्रेषक,

आर0पी0सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग—7 लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2010

विषय:—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009—10 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से राज्यांश हेतु व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—992 / 38—7—09—347एनआरईजीए / 09टी0 सी0—1 दिनांक: 05—04—09 एवं शासनादेश संख्या—2027 / 38—7—09—347एनआरईजीए / 09टी0सी0—1 दिनांक: 13—08—09 तथा शासनादेश संख्या—1924 / 38—7—09—347 एनआरईजीए / 09टी0 सी0—1 दिनांक: 10—11—09 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक एवं प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0 300 करोड़ के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब योजना हेतु आय—व्ययक में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 250 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था करायी गयी है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उक्त राज्यांश की धनराशि रू0 250 करोड़(दो सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:—

(1) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात सामग्री अंश के 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में उपयोग हेतु ही किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण दो बराबर किश्तों में होगा, प्रथम किश्त का आहरण तभी होगा जब पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 300 करोड़ के सापेक्ष सामग्री अंश में कम से कम रू0 1100 करोड़(रूपये ग्यारह सौ करोड़) व्यय हो गया हो एवं द्वितीय किश्त का आहरण तब किया जायेगा, जब सामग्री अंश में कम से कम रू0 1500 करोड़(रूपये पन्द्रह सौ करोड़) का व्यय हो चुका हो।

(3) धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग—निर्देशों / एक्ट में उल्लिखित व्यवस्थाओं के कम में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा।

(4) संबंधित जनपदों को धनराशि आवश्यक होने पर आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी।

D:\NREGA-10\A\g0\GO.doc

(5) कोषागार से धनराशि के आहरण करने तथा मितव्ययितता संबंधी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा। वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त(लेखा) ग्राम्य विकास उत्तरदायी होंगे।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 में अनुदान संख्या—13 के पूंजी लेखा शीर्षक—4515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—102 सामुदायिक विकास—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—01—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(राज्यांश)(के—90%,रा0—10%) —42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या—ई—2—142/दस—2010, दिनांक: 28 फरवरी, 2010 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

संख्या— 1212 (1)/38—7—09तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2
(5) वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—2
(6) राज्य योजना आयोग—1/2
(7) महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(8) निदेशक, सांख्यिकी, उ0प्र0।
(9) नियोजन अनुभाग—3
(10) ग्राम्य विकास अनुभाग—3
(11) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(13) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(14) निदेशक, वित्त सांख्यिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

D:\NREGA-10\A\g0\GO.doc

संख्या– 486 /14–5–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी/ जालौन/ बांदा/ ललितपुर/ चित्रकूट/ हमीरपुर/
महोबा/ मिर्जापुर/ सोनभद्र/ चन्दौली/ इलाहाबाद।

वन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2010

विषय: बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल क्षेत्र में वर्ष 2010–11 हेतु 2.75 करोड़ पौध रोपण हेतु विशेष वृक्षारोपण अभियान के संबंध में।

महोदय,

जल, जंगल और जमीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव, जलवायु परिवर्तन एवं अन्य कारणों से इन संसाधनों में निरन्तर कमी आ रही है। अतएव इनका संरक्षण और संवर्धन न सिर्फ सूखे की विभीषिका के नियंत्रण व पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है बल्कि यह गरीबी उन्मूलन में भी बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।

2– वर्ष 2008–09 में सूखे की भीषण स्थिति से निपटने हेतु बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चलाया गया था। पुनः वर्ष 2009–10 में सूखे की विभीषिका से निपटने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वृक्षारोपण के द्वारा रोजगार सृजन कर ग्रामीणों के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल के 11 जनपदों में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। यह सर्वविदित है कि घने वनों से आच्छादित क्षेत्र में अधिक वर्षा होने की सम्भावना होती है तथा वन, भूमि एवं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

3– इसी के दृष्टिगत वर्ष 2010–11 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं विन्ध्य क्षेत्र में सूखे की विभीषिका से निपटने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वृक्षारोपण के द्वारा रोजगार सृजन कर ग्रामीणों के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु

शासन ने यह निर्णय लिया है कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल के 11 जनपदों में वर्ष 2010–11 में 2.75 करोड़ पौधों का रोपण किया जाये। वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों का लक्ष्य निम्नवत् है :–

क्र0सं0	विभाग / संस्था का नाम	पौध संख्या (करोड़ में)
1	वन विभाग	2.42
2	ग्राम पंचायतें	0.33
	योग	2.75

4– वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण वन भूमि तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा ग्राम समाज की उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि पर करायी जायेगी। ग्राम पंचायतें भी तदनुसार अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य लक्ष्य के अनुरूप सम्पादित करेगी। जनपदवार निर्धारित पौधरोपण का लक्ष्य संलग्नक–1 पर है।

5– गत वर्षो के इस अभियान के अनुभवों के आधार पर यह तय किया गया है कि इन क्षेत्रों में रोपित किये जाने वाले पौधे उसी जनपद की पौधशाला में उगाये जायेगें तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इन्हे अन्य प्रभागों/क्षेत्रों से लाया जा सकेगा। सुरक्षा की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा यथा आवश्यक तारबाड़ तथा पत्थर के "पिलर्स" का प्रयोग फेन्सिंग के लिए किया जायेगा। तारबाड़ तथा पत्थर के प्रयोग में आने वाला व्यय वृक्षारोपण हेतु निर्धारित सामान्य लागत के अतिरिक्त होगा।

6– इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में रूट स्टाक विद्यमान है, जिनके पुनरोत्पादन के लिए "सिंगलिंग आपरेशन" की जायेगी। ऐसे क्षेत्र जहां तकनीकी रूप से बीज बुआन किया जाना आवश्यक है, वहां एक हेक्टेअर क्षेत्र में 500 पौध रोपित किये जायेगे तथा 600 पौध बीज बुआन से तैयार किये जायेंगे। इन क्षेत्रों में लगाई जाने वाली प्रजातियों का जनोपयोगी होना आवश्यक है। मुख्यतः इमली, महुआ, ऑवला, बेल, बॉस, शीशम, सिरस, नीम, कंजी, आम, चिलबिल, पीपल, बरगद, पाकड़ जामुन एवं स्थानीय मृदा के अनुसार सफल होने वाले प्रजातियों के पौधे रोपित किये जाएंगे।

7— इस वृहद स्तर पर किये जा रहे वृक्षारोपण का क्षेत्र की जलवायु पर अच्छा असर पड़ेगा। इस परिवर्तन के सही मॉनीटरिंग के लिए यह आवश्यक है कि वन विभाग जी0पी0एस0/जी0आई0एस0 का इस्तेमाल कर साइट का सही को—आर्डिनेट्स (अक्षांश एवं देशान्तर) विवरण तैयार करें ताकि सेटेलाइट इमेजरी से भविष्य में क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को आंका जा सके। कार्य स्थलों का आई0जी0एफ0आर0आई द्वारा सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मॉनीटरिंग कराया जायेगा।

8— इस योजना का वित्त पोषण वन विभाग की विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) से किया जायेगा। जनपदवार वित्तीय आवश्यकता का विवरण संलग्नक—2, 3 व 4 पर है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ काम करते हुए कार्य का प्रभाव काफी बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में गत वर्ष की भाँति यह प्रयास वन विभाग के विशिष्ट ज्ञान तथा विकास विभाग की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करके कराया जायेगा।

9— इस कार्य के लिए योजना निम्नवत् तैयार एवं स्वीकृत की जाएगी :—

वन विभाग द्वारा इस कार्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन किया जायेगा। जिलाधिकारीगण ग्राम पंचायतों की उपयुक्त एवं उपलब्ध भूमि का चयन कराते हुए इस पर वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव तैयार कराएंगे। वन विभाग द्वारा चयनित स्थल की उपयुक्तता पर सहमति के रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गयी विस्तृत कार्य योजना जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक को वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए इन योजनाओं को स्वीकृति देंगे तथा वन विभाग को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायेंगे।

10— मनरेगा योजना की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक वन विभाग के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी को भी भेजेंगे। कार्यक्रम अधिकारी वन विभाग को कार्य के सापेक्ष मस्टर रोल निर्गत करते हुए एक हेक्टेयर पर एक जॉब कार्ड धारक परिवार का कार्य मानते हुए जितने हेक्टेयर की कार्य योजना है उस ग्राम पंचायत के कम से कम उतने जॉब कार्ड धारकों की सूची वन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। वन विभाग द्वारा मौके पर इनसे कार्य कराया

जायेगा। उनके द्वारा कार्य न करने की दशा में उसी ग्राम पंचायत के अन्य जॉब कार्ड धारक द्वारा कार्य कराया जा सकता है पर इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जानी होगी। योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान बैक के माध्यम से ही किया जायेगा तथा सामग्री का भुगतान भी चेक के माध्यम से ही किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि को किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर कैश/नकद आहरित नही किया जायेगा।

11— मनरेगा के अन्तर्गत कार्य हेतु मस्टर रोल कार्यक्रम अधिकारी द्वारा चरणबद्ध रूप से निर्गत किया जाना चाहिए। उदाहरणतः वृक्षारोपण के पूर्व के कार्य के लिए आवश्यक मस्टर रोल पहले दिये जायेगें। वृक्षारोपण कार्य के लिए मस्टर रोल देने के पूर्व पहलें जो मस्टर रोल निर्गत किये गये है और जिनके सापेक्ष भुगतान हो चुका है उन्हे वापस जमा कराते हुए एम0आई0एस0 में फीड करने के उपरान्त ही दूसरे चरण का मस्टर रोल दिया जायेगा। इसे कठोरता से लागू करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

12— पौधरोपण कार्य को सफल बनाने के लिए सुरक्षा एवं सिंचाई की व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक है। सुरक्षा हेतु बिन्दु—5 के अनुसार फेन्सिंग के लिए ग्राम्य विकास विभाग के शेडयूल आफ रेट्स के आधार पर प्रस्ताव वन विभाग/ग्राम पंचायत द्वारा जिला समन्वयक को प्रस्तुत की जायेगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायेगें। इसी प्रकार क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सिंचाई के लिए संरचनाएं भी सृजित की जायेगी। वन विभाग इस कार्य को जलागम की अवधारणा पर संरचना कर निष्पादित करेगा। जलागम विकास के लिए जो अन्य आवश्यक कार्य होगे सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को पृथक से अवगत कराते हुए कार्य हेतु अनुरोध किया जा सकता है। लगाए गये पौधों के सिंचाई हेतु सम्प निर्माण एवं पौधों की देख—रेख के लिए मजदूरों को आवश्यकतानुसार लगाया जाना है। 'सम्प' निर्माण, सिंचाई, निराई—गुड़ाई एवं रख—रखाव के अन्य मदों में धनराशि की अनुमन्यता मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रचलित एस0ओ0आर0 (शेड्यूल ऑफ रेट) के अनुसार होगी। सिंचाई, रख—रखाव आदि का कार्य मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों द्वारा किया जाएगा एवं मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से जॉब कार्ड धारकों को किया जाएगा। 'सम्प' बनाने, सिंचाई एवं रख—रखाव में व्यय के लिए वन विभाग को नियमानुसार धनराशि मनरेगा से उपलब्ध कराई जाएगी। मनरेगा योजना के लिए जो एस0ओ0आर0 निर्गत किया गया है उसका कठोरता से पालन किया

जाएगा। किसी भी दशा में मजदूरी अथवा साग्रगी के लिए कोई नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना प्रभागीय वनाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

13— यह कार्ययोजना 04 वर्षों की होगी। जिसमें 02 वर्षों हेतु अनुरक्षण भी सम्मिलित होगा। विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त मनरेगा के कराये जा रहे वृक्षारोपण का अनुरक्षण हेतु धनराशि मनरेगा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। अनुरक्षण का कार्य मनरेगा योजना के जॉब कार्ड धारकों के द्वारा ही किया जाएगा। रख—रखाव के कार्य में लगाये जाने वाले व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में किया जा सकता है। नरेगा गाइड लाइन 2008 के पैरा 6.1.3 में उद्धरित है कि

> "The maintenance of assets created under the scheme (including protection of afforested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other programs but belonging to the sectors of works approved in schedule I of the act"

14— पौधरोपण के लिए चयनित क्षेत्रों में चारा विकास का कार्य भी किया जायेगा तथा इस कार्य के लिए आई0जी0एफ0आर0आई0 तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से सीड/बीज की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जायेगी। चारा एवं वन उत्पादों का लाभ वहाँ रहने वाले ग्रामीणों को प्राप्त हो सके इसके लिए संयुक्त वन प्रबन्ध की पद्धति पर कार्य योजना वन विभाग द्वारा बनाकर लागू की जायेगी।

15— ग्राम पंचायतें भी उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में निहित प्राविधानों के अधीन कार्य करेगी। प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर "सूचना पट्टिका" का प्राविधान भी प्राक्कलन में किया जाये।

अनुश्रवण व्यवस्था

16— योजना के कियान्वयन का अनुश्रवण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें वन, ग्राम्य विकास, उद्यान, लोक निर्माण, सिंचाई, विद्युत, पंचायती राज, आवास एवं नगर विकास प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

17— विभागीय अधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिए सघन निरीक्षण किए जाएगें। विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण एवं पाई गई कमियाँ का निराकरण इस योजना के अनुश्रवण का प्रथम स्तर होगा। योजना के अनुश्रवण के द्वितीय स्तर के रूप में जिलाधिकारीगण अपने जनपद में जनपद स्तरीय अधिकारियों

की टीम गठित कर योजना के क्रियान्वयन का सत्यापन समय–समय पर कराएंगे। जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि वृक्षारोपण के सभी स्थलों का सत्यापन पौध रोपण के दौरान और रोपण उपरान्त स्तरीय टीम द्वारा किया जाय।

18– गत वर्षो में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल क्षेत्र के विशेष वृक्षारोपण अभियान में गैर सरकारी संस्थाओं को "थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग" के लिए सम्मिलित किया गया था। यह व्यवस्था इस बार भी कायम रहेगी।, इनका चयन एवं वित्त पोषण जिला कार्यक्रम समन्वयक/मनरेगा आयुक्त द्वारा किया जायेगा। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल का सघन दौरा करते हुए सत्यापन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा। जिलाधिकारी इन संस्थाओं से इनके द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के सम्बन्ध में साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

19– वृक्षारोपण कार्यक्रम जन अभियान के रूप में सफल हो सकता है तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए समुचित जन सहभागिता आवश्यक है। योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि क्रियान्वयन के पूर्व तथा क्रियान्वयन के दौरान व्यापक प्रचार प्रसार तथा "कम्यूनिटी मोबालाइजेशन" का कार्य भी किया जाय।

20– विशेष वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत 11 जनपदों में ग्राम्य विकास के शासनादेश संख्या–2988/38–7–एनआरइजीए/2008 के द्वारा विभिन्न स्तरों के लिए किया गया मात्राकरण इस योजना के वित्त पोषण की सीमा तक शिथिल माना जाएगा।

21– योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी पूरी तन्मयता से योजना के क्रियान्वयन ~~की~~ का अनुश्रवण करें तथा क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों को वरीयता पर दूर करें।

22– मंडल स्तर पर इसका समन्वय मंडलायुक्त, वन संरक्षक की सहायता से करेंगे। जनपद स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन का दायित्व जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) का होगा।

23– प्रमुख सचिव/सचिव, वन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य के सभी जनपदों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण की रणनीति/कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर तैयार करेंगे। इस कार्य की कार्ययोजना उनके द्वारा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को उपलब्ध

करायी जायेगी। सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव माह के प्रत्येक सप्ताह में यह सुनिश्चित करेंगे कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में कम से कम दो दिन उनके विभाग के अधिकारी भ्रमण करें तथा योजना के कियान्वयन तथा अनुश्रवण की प्रभावी कार्यवाही करते हुए योजना के लक्ष्य की पूर्ति शत–प्रतिशत सुनिश्चित करायेंगे।

24– खाद्य आयुक्त श्री राजीव अग्रवाल इस परियोजना के नोडल अधिकारी नामित किये जाते है। उनकी अध्यक्षता में परियोजना कियान्वयन समिति (Project Implementation Committee) गठित की जायेगी, जिसके सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 एवं श्री अनुराग यादव, अपर ग्राम्य विकास आयुक्त सदस्य होंगे। समिति इस योजना के कियान्वयन के लिये समन्वय का कार्य करेंगी। समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती विषयक अनुरोध संबंधित विभाग से कर सकती है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव, उ0प्र0।

संख्या–486 (1)/14–5–2009 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन/ग्राम्य विकास /पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. श्री अनुराग यादव, अपर ग्राम्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या जी–1047 /29–5(बु0वि0वृ0) लखनऊःदिनांकः 18 मार्च, 2010.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य वन संरक्षक, झांसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं वन्य जीव कानपुर, उ0प्र0।
2–वन संरक्षक, झांसी, चित्रकूटधाम बांदा, इलाहाबाद।
3–प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, रेनूकूट, ओबरा, इलाहाबाद, काशी एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग।
4–मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का सतत अनुश्रवण करें तथा इससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराते रहें।

(ता0प्र0)

(मुहम्मद अहसन)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
सामाजिक एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक–1

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य विशेष अभियान 2010–11

जनपदवार भौतिक लक्ष्य

जनपद	वन विभाग का लक्ष्य		ग्राम पंचायत का लक्ष्य पौध संख्या (लाख में)	कुल रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (लाख में)
	क्षेत्रफल (हे0 में)	पौध संख्या (लाख में)		
1	2	3	4	5
झांसी	1500	17	3	20
ललितपुर	1600	18	2	20
जालौन	1400	15	4	19
बांदा	300	3	3	6
चित्रकूट	2800	31	2	33
हमीरपुर	1000	11	2	13
महोबा	1100	12	2	14
मिर्जापुर	3400	37	4	41
सोनभद्र	6000	66	5	71
चन्दौली	2100	23	4	28
इलाहाबाद	800	9	0	9
योग	**22000**	**242**	**33**	**275**

संलग्नक–2

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र विशेष वृक्षारोपण अभियान 2010–11

जनपदवार वित्तीय आवश्यकता (अनन्तिम)*

क्र0 सं0	जनपद	वन विभाग का लक्ष्य		ग्राम पंचायत का लक्ष्य पौध सख्या (लाख में)	कुल रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (लाख में)	वित्तीय आवश्यकता का विवरण (रू0 लाख में)				
		क्षेत्रफल (हे0 में)	पौध संख्या (लाख में)			कुल आवश्यकता	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झाँसी	1500	17	3.1	20	**981.50**	490.75	196.30	157.04	137.41
2	ललितपुर	1600	18	2.4	20	**1001.50**	500.75	200.30	[illegible]	140.21
3	जालौन	1400	15	[illegible]	19	**972.00**	486.00	194.40	155.52	136.08
4	बांदा	300	3	3.1	6	**321.50**	160.75	64.30	51.44	45.01
5	महोबा	2800	31	1.8	33	**1628.50**	814.25	325.70	260.56	227.99
6	हमीरपुर	1000	11	2.3	13	**662.50**	331.25	132.50	106.00	92.75
7	चित्रकूट	1100	12	2.4	14	**723.00**	361.50	144.60	115.68	101.22
8	मिर्जापुर	3400	37	3.6	41	**2049.50**	1024.75	409.90	327.92	286.93
9	सोनभद्र	6000	66	5.4	71	**3571.00**	1785.50	714.20	571.36	499.94
10	चन्दौली	2100	23	4.4	28	**1376.50**	688.25	275.30	220.24	192.71
11	इलाहाबाद	800	9	0.4	9	**462.50**	231.00	92.40	73.92	64.68
	योग	**22000**	**242**	**33.0**	**275**	**13749.50**	**6874.75**	**2749.90**	**2199.92**	**1924.93**

नोटः– 1–वृक्षारोपण के लिए पौधशालाओं में पौध उगान/रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वित्तीय आवश्यकता में आकलित है।

2– प्रथम वर्ष रू0–25.00 प्रति पौध अग्रिम मृदा कार्य एवं पौध उगान हेतु।

3– द्वितीय वर्ष रू0 10.00 प्रति पौध पौधारापेण से सम्बन्धित कार्य ।

4– तृतीय वर्ष रू0 8.00 प्रति पौध अनुरक्षण।

5– चतुर्थ वर्ष रू0 7.00 प्रति पौध अनुरक्षण।

6– *मूल्य वृद्धि के कारण वित्तीय आवश्यकता में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य विशेष वृक्षारोपण अभियान 2010–11

जनपदवार वन विभाग की वित्तीय आवश्यकता (* अनन्तिम)

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	जनपद	रोपण का लक्ष्य (हे0 में)	विभागीय योजनाओं में लक्ष्य (हे0में)	मनरेगा के अन्तर्गत लक्ष्य (हे0में)	विभागीय वृक्षारोपण का मनरेगा से कन्वरजेन्स का क्षेत्रफल (हे0 में)	कुल वित्तीय आवश्यकता	विभागीय कार्य हेतु कुल आवश्यक धनराशि	प्रथम वर्ष में विभागीय कार्य हेतु आवश्यक धनराशि	मनरेगा से वर्षवार वित्तीय आवश्यकता का विवरण				
									प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	कुल आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	झांसी	1500	1350	150	700	825.00	550.00	371.25	41.25	93.50	74.80	65.45	275.00
2	ललितपुर	1600	1450	150	750	880.00	591.25	398.75	41.25	99.00	79.20	69.30	288.75
3	जालौन	1400	1300	100	1300	770.00	357.50	357.50	27.50	154.00	123.20	107.80	412.50
4	बांदा	300	283	17	283	165.00	77.83	77.83	4.68	33.00	26.40	23.10	87.17
5	महोबा	2800	2600	200	2100	1540.00	852.50	715.00	55.00	253.00	202.40	177.10	687.50
6	हमीरपुर	1000	800	200	100	550.00	412.50	220.00	55.00	33.00	26.40	23.10	137.50
7	चित्रकूट	1100	900	200	200	605.00	440.00	247.50	55.00	44.00	35.20	30.80	165.00
8	मिर्जापुर	3400	1700	1700	1700	1870.00	467.50	467.50	467.50	374.00	299.20	261.80	1402.50
9	सोनभद्र	6000	3700	2300	1600	3300.00	1595.00	1017.50	632.50	429.00	343.20	300.30	1705.00
10	चन्दौली	2100	600	1500	350	1155.00	233.75	165.00	412.50	203.50	162.80	142.45	921.25
11	इलाहाबाद	800	700	100	700	440.00	192.50	192.50	27.50	88.00	70.40	61.60	247.50
	योग	**22000**	**15383**	**6617**	**9783**	**12100.00**	**5770.33**	**4230.33**	**1819.68**	**1804.00**	**1443.20**	**1262.80**	**6329.67**

नोटः–
1–वृक्षारोपण के लिए पौधशालाओं में पौध उगान/रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वित्तीय आवश्यकता में आंकलित है।
2– प्रथम वर्ष रू0 25.00 प्रति पौध अग्रिम मृदा कार्य एवं पौध उगान हेतु।
3– द्वितीय वर्ष रू0 10.00 प्रति पौध पौधारोपण से सम्बन्धित कार्य ।
4– तृतीय वर्ष रू0 8.00 प्रति पौध अनुरक्षण।
5– चतुर्थ वर्ष रू0 7.00 प्रति पौध अनुरक्षण।
[illegible] वित्तीय आवश्यकता बढ़ सकती है।

संलग्नक–4

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य विशेष वृक्षारोपण अभियान 2010–11

जनपदवार मनरेगा से ग्राम पंचायत की वित्तीय आवश्यकता (अनन्तिम)*

क्र0 सं0	जनपद	वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य (पौध संख्या लाख में)	वित्तीय आवश्यकता का विवरण (रू0 लाख में)				
			कुल आवश्यकता	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	2	3	7	8	9	10	11
1	झॉसी	3.1	**156.50**	78.25	31.30	25.04	21.91
2	ललितपुर	2.4	**121.50**	60.75	24.30	19.44	17.01
3	जालौन	4.0	**202.00**	101.00	40.40	32.32	28.28
4	बांदा	3.1	**156.50**	78.25	31.30	25.04	21.91
5	महोबा	1.8	**88.50**	44.25	17.70	14.16	12.39
6	[illegible]	[illegible]	**112.50**	56.25	22.50	18.00	15.75
7	चित्रकूट	2.4	**118.00**	59.00	23.60	18.88	16.52
8	मिर्जापुर	3.6	**179.50**	89.75	35.90	28.72	25.13
9	सोनभद्र	5.4	**271.00**	135.50	54.20	43.36	37.94
10	चन्दौली	4.4	**221.50**	110.75	44.30	35.44	31.01
11	इलाहाबाद	0.4	**22.00**	11.00	4.40	3.52	3.08
	योग	**33.0**	**1649.50**	**824.75**	**329.90**	**263.92**	**230.93**

नोटः– 1–वृक्षारोपण के लिए पौधशालाओं में पौध उगान/रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वित्तीय आवश्यकता में आंकलित है।

2– प्रथम वर्ष रू0 25.00 प्रति पौध अग्रिम मृदा कार्य एवं पौध उगान हेतु।

3– द्वितीय वर्ष रू0 10.00 प्रति पौध पौधारोपण से सम्बन्धित कार्य ।

4– तृतीय वर्ष रू0 8.00 प्रति पौध अनुरक्षण।

5– चतुर्थ वर्ष रू0 7.00 प्रति पौध अनुरक्षण।

6– *मूल्य वृद्धि के कारण वित्तीय आवश्यकता में बढ़ोत्तरी हो सकती है।